



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267549
CG-DL-E-11112025-267549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 744]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 830(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (श्रेणी-I तथा श्रेणी-II पद) भर्ती नियम, 1965, को जहां तक उनका संबंध पादप रसायनज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में पादप रसायनज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पादप रसायनज्ञ (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पादप रसायनज्ञ।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-7 (44900 - 142400 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलेन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
--	---	--

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: तकनीकी सहायक, जिन्होंने नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35400-112400/- रुपये) में पांच वर्ष की सेवा नियमित आधार पर की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सम्बद्ध क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, जिन्होंने- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400) या समकक्ष में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हो :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्बनिक रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान में एम.एससी. (ii) पादप रसायन विज्ञान में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संरक्षण एवं सर्वेक्षण प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव या समकक्ष – अध्यक्ष; - निदेशक (संरक्षण और सर्वेक्षण) या समकक्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य; और - निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		
---	--	--

[फा. सं 01/09/2023-सीएसबी]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2025

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class I and Class II posts), Recruitment Rules, 1965 in so far as they relate to the post of the Plant Chemist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plant Chemist in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Plant Chemist (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.-The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Plant	1* (2025)	General Central	Level-7 (Rs. 44900)	Selection.	Not Applicable.

Chemist.	*Subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'B', Gazetted, Non Ministerial.	- 142400).		
----------	--	--	------------	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	100 percent by Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Technical Assistant with five years service in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) of the pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed two weeks training in relevant field as prescribed by the competent authority. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years regular service in Level-6 (35400-112400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification and experience:- (i) M.Sc. in Organic Chemistry or Bio-chemistry from a recognised University or Institute. (ii) Three years experience of research in plant chemistry. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Secretary or equivalent in charge of Conservation and Survey division of Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Chairman; 2. Director (Conservation and Survey) or equivalent, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; and 3. Director, Botanical Survey of India – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of the applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists will not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F. No. .01/09/2023-CSB]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.